.<u>न्यायालय:— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

<u>दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः</u> 200 / 2015 <u>संस्थापन दिनांक-03.10.15</u> फाईलिंग नंबर-230303012552015

- 1— गजेन्द्रसिंह आयु 48 साल व्यवसाय शासकीय सर्विस
- 2- राजेन्द्रसिंह आयु 45 साल व्यवसाय शासकीय सर्विस
- 3— विशालिसंह आयु 41 साल व्यवसाय नौकरी पुत्रगण कदमिसंह निवासीगण ग्राम सिरसौदा परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण / आरोपीगण

वि क ह

1- मध्य प्रदेश शासन जर्य-पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

.....प्रितपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

न्यायालय—श्री पंकज शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद जिला—भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—261 / 2006 ई.फौ.आरक्षी केन्द्र गोहद वि० रामदास आदि में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

<u>—::— आ दे श —::—</u> (आज दिनांक **05.10.2015** को पारित किया गया)

- 1. उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण की ओर से प्र0क0—230/15 सत्रवाद शासन पुलिस गोहद बनाम रामदास आदि में अधीनस्थ न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री पंकज शर्मा के द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी/पुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध धारा 420, 467 एवं 471 भा0द0वि० के तहत आरोप बनना पाते हुए तथा उक्त धाराएं सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड को उपार्पित किया है जहाँ से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।
- 2. पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी भगतराम के द्वारा पुलिस थाना गोहद में एक आवेदन पत्र दिनांक 01.01.2002 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके मृतक भाई तोताराम के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि के संयुक्त खाते से (चार खातेदारों की कुल 162 बीघा) किता कल 62 रकव 31.344 है0 में भाग 1/4 भूमि आधिपत्य की मौजा सिरसौदा में स्थित है। उक्त भूमि में भाग 1/8 अर्थात् 20 बीघा 5 विस्वा प्रार्थी भगतराम तथा 1/8 तोताराम के भूमिस्वामित्व व आधिपत्य की है। उसे मिली जानकारी के अनुसार तोताराम ने करीब पांच बीघा भूमि निगरानीकर्तागण को एवं अन्य को विक्रय कर दी है शेष भूमि करीब 15—16 बीघा भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है तथा तोताराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान खेती कर रहे हैं। तोताराम व हरीसिंह की मृत्यु के बाद वैध वारिसों को रिकॉर्ड पर लाये बिना पटवारी मौजा ने शासकीय राजस्व रिकॉर्ड में

ग्राम सिरसौदा के श्रीराम पुत्र प्रभूदयाल जो पटवारी के निकट रिश्तेदार हैं तथा अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रार्थी को क्षिति पहुंचाने की दृष्टि से उनके हित में नामांतरण पंजी पर नाम अंकित कर बंटवारा कर पृथक पृथक कई खात कायम कर दिये हैं तथा नामांतरण पंजी पर मृतक हरीसिंह का फर्जी अंगूठा लगवाया है और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी बंटवारा किया गया है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन पटवारी के विरूद्ध और अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।

- 3. फरियादी भगतराम के उक्त आवेदन पर से पुलिस थाना गोहद में अप0क0—189/2004 धारा—420, 467 एवं 471 भा0द0वि0 के अंतर्गत दिनांक 06.07.04 को पंजीबद्ध कियागया। जिसका चालान विचारण न्यायालय में पेश किया गया जहाँ उक्त निगरानीकर्तागण की जमानत के बाद प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.07.15 को उक्त प्रकरण में आरोप पर विचार न करते हुए इस न्यायालय को उपार्पित कर दिया।
- निगरानीकर्तागण ने उक्त निगरानी में यह आधार लिया है कि उक्त प्रकरण फरियादी भगतराम के आवेदन पत्र दिनांक 01.01.02 की विवेचना पर से संचालित हुआ है और दिनांक 06.07.044 को पुलिस थाना गोहद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है जो कि धारा–420, 467 एवं 471 भा०द०वि० के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई है। सिविल प्रक्रिया संहिता (म0प्र0 संशोधन) बिल नंबर–4 सन् 2007 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची के अनुसार उक्त धाराओं को प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के स्थान पर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय कर दिया गया है जिसका म0प्र0 गजट नोटिफिकेशन 24.07.07 को राजपत्र में पेज-733 पर किया गया है। इस आधार पर जो प्रकरण 24.07.07 के बाद उक्त धाराओं में पंजीबद्ध हुए हैं उनका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। इस तथ्य पर तथा उक्त संशोधन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न कर प्रकरण को प्रत्यावर्तित करने में गंभीर भूल की है जो निरस्ती योग्य है। तथा उक्त संशोधन के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा और इस संशोधन का प्रभाव पूर्व में संचालित प्रकरणों पर नहीं पडेगा तथा न्याय दृष्टांत आई०एल०आर० 2013 एम०पी० पेज–741 राकेश कुमार सोनी बनाम म0प्र0 राज्य का भी उल्लेख किया गया है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संशोधन से पूर्व संचालित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा और उनको सत्र न्यायालय को प्रत्यावर्तित नहीं किया जावेगा जिसे अनदेखा करते हुए यह आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं अतः निरस्त किया जावे।
- 5. पुनरीक्षण याचिका के अनुरूप ही पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किये गये ।
- 6. उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:--
 - 1— क्या विद्वान जे०एम०एफ०सी० गोहद श्री पंकज शर्मा का प्रकरण क्रमांक 261 / 2006 में दिनांक 19.07.15 को पारित आलोच्य आदेश अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

:- निष्कर्ष के आधार-::

7. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्कों में पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधारों के अनुरूप ही तर्क करते हुए मूलतः इस बिन्दु पर बल दिया है कि फरियादी भगतराम उर्फ बी०पी० गौतम की जिस लेखी शिकायत दिनांकित 06.07.04 के आधार पर थाना गोहद में अप०क०—189/04 धारा—420, 467, 471 के अंतर्गत दिनांक 06.07.04 को अपराध पंजीबद्ध किया गया वह द०प्र०सं० 1973 की प्रथम अनुसूची में किये गये संशोधन अधिनियम 2007 जो दिनांक 22.02.08 को प्रभावशील हुआ है जिसके द्वारा धारा—467 भा०द०वि० का अपराध सत्र विचारण योग्य बनाया गया है वह संशोधन के पूर्व का है इसलिये संशोधन के प्रावधान पुनरीक्षणकर्तागण पर लागू नहीं होते हैं और उक्त अपराध का अभियोग पत्र भी वर्ष 2006 में जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में पेश किया गया था इसलिये मामला जे०एम०एफ०सी० न्यायालय द्वारा अवैध रूप से उपार्पित किया गया है जबकि वह जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में ही विचारण योग्य है क्योंक संशोधन अधिनियम के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखते हैं। तथा यह तर्क भी किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का उचित अवसर दिये वगैर ही उपार्पण कर दिया है और उन्हें उपार्पण के पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जो कि अवैध है। इसलिये आलोच्य उपार्पण आदेश दिनांक 10.07.15 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतू अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

- 8. विद्वान ए०जी०पी० द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए अपने तर्कों में यह कहा है कि वर्तमान में अपराध सत्र विचारण का है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित सुनवाई करके उपार्पण का आदेश किया है जो पुष्टि योग्य है इसिलये पुनरीक्षण याचिका केवल प्रकरण को विलंबित करने के उद्धेश्य से पेश की गई है जो निरस्त की जावे क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में 10 साल तक मामला उपस्थिति में ही चलता रहा है और पुनरीक्षणकर्तागण येन केन प्रकारेण उसे उलझाये रखना चाहते हैं जिसका खण्डन करते हुए पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत रमेश कुमार सोनी विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० आई०एल०आर० (2013) एम०पी० 741 एस०सी० पेश किया है और यह तर्क किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्याय दृष्टांत में संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव होना नहीं माना है। इसिलये विद्वान ए०जी०पी० का तर्क विधिसम्मत नहीं है अतः पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे।
- 9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल प्रकरण क्रमांक—261/06 शासन विरुद्ध रामदास आदि जो कि उपार्पित होकर इसी न्यायालय को माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड से उपार्पित होकर विचारण हेतु सत्रवाद क्रमांक—230/15 के रूप में प्राप्त हुआ है जिसका अभिलेख संलग्न है, उसका अध्ययन किया गया जिसके अध्ययन से यह स्पष्ट है कि थाना गोहद में धारा—420, 467, 471 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक—189/04 दिनांक 06.07.04 को भगतराम उर्फ बी0पी0 गौतम की लेखीय शिकायत दिनांकित 06.07.04 के आधार पर पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र दिनांक 11.05.06 को जे0एम0एफ0सी0 गोहद के न्यायालय में पेश किया गया था जो विद्वान जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री पंकज शर्मा के द्वारा दिनांक 10.07.15 को उपार्पित कर मामला सत्र विचारण का होने का निष्कर्ष देते हुए उपार्पित किया जो अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।
- 10. जहाँ तक उपार्पण के पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं के अबलोकन से प्रकरण में जिन आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ था उनमें से कुछ एक की मृत्यु हो जाने से उनकी फोती रिपोर्ट के लिये मामला विचाराधीन चलता रहा और अन्ततः दिनांक 09.06.15 को उपार्पण पर तर्क हेतु रखा गया था तथा दो अवसर पश्चात दिनांक 10.07.15 को उसे उपार्पित किया गया। दिनांक 10.07.15 की आदेश पत्रिका में उभयपक्ष को सुनने का भी उल्लेख है और अभिलेख के अवलोकन से उपार्पण पूर्व उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाना परिलक्षित होता है क्योंकि पुनरीक्षणकर्तागण का यह आधार कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया

है यह अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका जिस पर आरोपियों के हस्ताक्षर भी हैं, उससे स्पष्ट होता है और सुस्थापित दाण्डिक प्रथा मुताबिक न्यायालय की आदेश पत्रिका के खण्डन के अभाव में सही होने की उपधारणा की जाती है। ऐसे में समुचित अवसर प्राप्त होना माना जावेगा और इस बिन्दु पर तर्क ग्राह्य योग्य नहीं हैं।

जहाँ तक मुख्य बिन्दु यह उठाया गया है कि मामला वर्ष 2004 का है जो 2006 में अभियोग पत्र के रूप में पेश हुआ और द०प्र०सं० संशोधन अधिनियम 2007 जो कि दिनांक 22.02.08 को प्रभावी हुआ। क्योंकि संशोधन को राष्ट्रपति की अनुमति उक्त दिनांक को प्राप्त हुई जिसके द्वारा धारा–467, 468 का अपराध सत्र विचारण योग्य बनाया गया है। उसका भूतलक्षी प्रभाव न होने का जो बिन्दू उठाया गया है, उसके संबंध में पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत किये गये ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांत में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन की भूतलक्षी प्रभाव के बिन्दू पर विस्तृत व्याख्या करते हुए यह प्रतिपादित कर दिया गया है कि ऐसे मामले जिनमें विचारण प्रारंभ हो गया हो और वह एडवांस स्टेज की स्थिति में हो वह मामले जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में ही विचारण में रहेंगे। शेष मामले उपार्पित होंगे। इसी निष्कर्ष को देते हुए माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया था इसलिये जो न्याय दृष्टांत पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से प्रस्तुत किया गया उसमें ही उपार्पण के बिन्दु पर विधि स्थापित हो चुकी है। चूंकि वर्तमान मामला जो कि प्ररिंभिक स्टेज पर वर्तमान में है क्योंकि कोई आरोप विरचित नहीं हुए थे न ही विचारण प्रारंभ हुआ था। ऐसे में भले ही वर्तमान प्रकरण द०प्र०सं० संशोधन अधिनियम 2007 प्रभावशील होने के पूर्व दिनांक का हो वह सत्र विचारण योग्य ही रहेगा। इसलिये प्रस्तुत न्याय दृष्टांत से पुनरीक्षणकर्तागण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। बल्कि उससे उपार्पण आदेश विधिसम्मत होने को ही बल मिलता है। फलतः पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधार और उठाये गये बिन्दु विधिक महत्व नहीं रखते हैं और पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क भी ग्राह्य योग्य न होने से वाद विचार पुनरीक्षण याचिका सारहीन मानते हुए निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के उपार्पण आदेश दिनांक 10.07.15 की पुष्टि की जाती है।

दिनांक — 05.10.15 आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

र्य) (पी०सी० आर्य)
चायाधीश द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
भिण्ड गोहद जिला भिण्ड